आशा दीप कम्यूनिटी कॉलेज

छात्रावास (बालक एवं बालिका) के नियम एवं विनियम

ये नियम छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित, अनुशासित, स्वच्छ एवं पारिवारिक वातावरण सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए हैं। प्रत्येक छात्र/छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वे इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें एवं उनका कड़ाई से पालन करें।

आवासीय कार्यक्रम की अवधि: तीन महीने (90 दिन)

1. पात्रता एवं प्रवेश

- छात्रावास सुविधा केवल संस्थान में नामांकित छात्र/प्रशिक्षु को ही दी जाएगी।
- छात्रावास में प्रवेश सीटों की उपलब्धता एवं छात्रावास प्रशासन की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
- प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज़, फोटो, पहचान पत्र एवं अभिभावक का विवरण जमा करना अनिवार्य है।
- छात्रावास शुल्क संस्थान द्वारा निर्धारित समय पर जमा करना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: **18 से 30 वर्ष**।

2. कक्ष / डॉर्मिटरी आवंटन एवं निवास

- कक्ष का आवंटन छात्रावास प्रशासन द्वारा किया जाएगा। बिना वार्डन की लिखित अनुमति के कक्ष परिवर्तन वर्जित है।
- प्रत्येक निवासी अपने कक्ष में उपलब्ध फर्नीचर एवं अन्य सामान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- किसी बाहरी व्यक्ति को कक्ष में ठहराना या उप-किराये पर देना सख्त मना है।

3. अनुशासन एवं आचार संहिता

- छात्रावास परिसर में अनुशासन, मर्यादा एवं अच्छा व्यवहार बनाए रखना अनिवार्य है।
- सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रति सम्मान आवश्यक है।
- रैगिंग, बदमाशी, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार का भेदभाव पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- गाली-गलौज, झगड़ा या दुर्व्यवहार करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4. छात्रावास समय-सारिणी एवं उपस्थिति

- छात्रावास के मुख्य द्वार **बंद** रहेंगे:
  - प्रातः 8:45 बजे से 12:45 बजे तक
  - दोपहर 1:45 बजे से 4:00 बजे तक
  - सायं 6:00 बजे से 7:45 बजे तक
- छात्रावास के द्वार **खुले** रहेंगे:
  - रात्रि 8:45 बजे से प्रातः 8:45 बजे तक
  - दोपहर 12:45 बजे से 1:45 बजे तक (दोपहर का भोजन)
- सभी विद्यार्थियों को निर्धारित समय से पहले छात्रावास लौटना अनिवार्य है।
- प्रतिदिन रात्रि 9:00 बजे वार्डन द्वारा उपस्थिति ली जाएगी।
- देर से प्रवेश केवल पूर्व लिखित अनुमति से ही संभव होगा।
- बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रतिदिन **सुबह नाश्ते से पहले एवं शाम को रात्रि भोजन के बाद** अनिवार्य है।

5. आगंतुक (Visitors) नियम

- आगंतुकों को केवल **रविवार** को **सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक** अनुमति होगी।
- आगंतुकों को गेट पर आगंतुक रजिस्टर में विवरण दर्ज करना होगा।
- आगंतुक केवल निर्धारित स्थान पर ही मिल सकते हैं, कमरों में प्रवेश वर्जित है।
- **पुरुष आगंतुकों का छात्रावास परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है।**

6. अवकाश, बाहर जाना एवं रात्रि प्रवास

- छात्रावास से बाहर जाने से पहले आउटिंग रजिस्टर में विवरण दर्ज करना अनिवार्य है।
- रात्रि प्रवास हेतु वार्डन की लिखित अनुमति एवं अभिभावक की सहमति आवश्यक है।
- आपातकालीन स्थिति में तुरंत वार्डन को सूचित करना होगा।

7. स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई

- कमरों को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखना प्रत्येक निवासी की जिम्मेदारी है।
- कचरा केवल डस्टबिन में ही डालें।
- सामान्य क्षेत्रों की साफ-सफाई बनाए रखें।
- समय-समय पर कक्ष निरीक्षण किया जा सकता है।

8. भोजन एवं भोजनालय नियम

- भोजन निर्धारित समय पर भोजनालय में ही परोसा जाएगा।
- भोजन के बाद बर्तन साफ करना अनिवार्य है।
- भोजन को कमरों में ले जाना मना है, केवल बीमार छात्रों को वार्डन की अनुमति से अनुमति दी जा सकती है।
- भोजन की बर्बादी सख्त मना है, उल्लंघन पर दंड दिया जाएगा।
- त्योहारों या विशेष अवसरों पर रसोई में सहायता करना आवश्यक हो सकता है।

9. विद्युत उपकरणों का उपयोग

- हीटर, केतली, इस्त्री, इंडक्शन आदि निजी विद्युत उपकरण बिना अनुमति के उपयोग करना वर्जित
- उपयोग न होने पर पंखे, लाइट आदि बंद रखें। • किसी भी विद्युत खराबी की सूचना तुरंत दें।

10. सुरक्षा एवं संरक्षा

- सभी विद्यार्थियों को अपना छात्रावास/कॉलेज पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है।
- कक्ष की चाबी या एक्सेस कार्ड साझा करना मना है। • किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।
- अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है।
- मोबाइल, लैपटॉप, नकद, आभूषण या दस्तावेज़ की हानि के लिए छात्रावास प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
- मूल्यवान वस्तुएँ वार्डन के पास जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

11. प्रतिबंधित वस्तुएँ

- शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। • हथियार, पटाखे या खतरनाक सामग्री रखना मना है।
- कमरों में खाना बनाना सख्त वर्जित है।

12. मौन एवं अध्ययन समय

- **रात्रि 9:30 बजे से प्रातः 7:30 बजे तक** मौन बनाए रखना अनिवार्य है।
- तेज संगीत, शोर-शराबा या किसी को परेशान करना मना है।
- अध्ययन समय में मोबाइल का उपयोग वर्जित है (केवल वार्डन की अनुमति से)।

13. स्वास्थ्य एवं आपातकाल

- बीमारी की स्थिति में वार्डन को सूचित करना आवश्यक है।• आपातकाल में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। • किसी भी पुरानी बीमारी की जानकारी वार्डन को देना अनिवार्य है।

14. छात्रावास सपत्ति को नुकसान

- छात्रावास की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर संबंधित छात्र से जुर्माना वसूला जाएगा।
- दीवारों पर लिखना या पोस्टर लगाना मना है।

15. शिकायत एवं सुझाव

- शिकायत या सुझाव लिखित रूप में वार्डन को दिए जा सकते हैं।
- वास्तविक समस्याओं का समाधान गोपनीय रूप से किया जाएगा।

16. अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर निम्न कार्रवाई हो सकती है:

- चेतावनी, जुर्माना या निलंबन • गंभीर मामलों में अभिभावकों से परामर्श के बाद निष्कासन

17. निवासी द्वारा स्वीकृति

प्रत्येक निवासी एवं उसके अभिभावक को इन नियमों का पालन करने की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)

मैं, ______________________, पिता/माता ______________________ का पुत्र/पुत्री, ग्राम ______________, थाना

______________, प्रखंड ______________, जिला ______________ का निवासी/निवासिनी,

वर्तमान में **आशादीप कम्युनिटी कॉलेज** में GDA / EDS / **कंप्यूटर / ब्यूटीशियन** का अध्ययन कर रहा/रही हूँ। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रावास में **तीन महीने** दिनांक __________ **से** __________ तक रहने के लिए सहमत हूँ। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्थान: मुज़फ्फरपुर **अभिभावक के हस्ताक्षर:** __________________ **मोबाइल नंबर:** __________________

दिनांक: __________ **निवासी के हस्ताक्षर:** __________________ **मोबाइल नंबर:** __________________